न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

(6)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/24/2016	18—07—2016	30—05—2018

1—अयूब पुत्र श्री हमीदा जाति मेव उम्र करीब 52 साल निवासी चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1—नजीरा बेवा अमीन उर्फ पिल्ली जाति मेव निवासी चामरोदा तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राज0

2—शहनाज उर्फ अजमेरी पुत्री अमीन उर्फ पिल्ली जाति मेव निवासी सूरजमुखी रोड, नगरपालिका तिजारा जिला अलवर राज0

3—तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर, राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढबास का निर्णय दिनांक 20.05.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का वसीयत के आधार पर इन्तकाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया ।

उपस्थित:—

01. कु0 सुषमा शर्मा —वकील अपीलान्टस
02. श्री जर्नादन शर्मा — वकील रैस्पॉडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के आदेश दिनांक 20.05..2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का वसीयत के आधार पर इन्तकाल प्रार्थना पत्र बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 20.05.2016 का है जो अपीलान्ट को नही सुनाया गया हर बार अपीलान्ट से कहा गया कि तहसीलदार जी रैवन्यू कैम्प में है वो खुद ही फैसला सुनाएगें। दिनांक 04.07.2016 को अपीलान्ट तहसील कार्यालय में गया तो बताया गया की तुम्हारा मुकदमा दिनांक 20.05.2016 को खारिज कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र लगाने का दिनांक 08.07.2016 को नकल प्राप्त हुई। दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—प्रत्र अलग से प्रस्तुत है। विवादित आराजी मृतक अमीन की कबजे काश्त की आराजी है जिस आराजी के 1/2 हिस्से की वसीयत अमीन ने अपीलान्ट के नाम की गई थी अमीन के देहान्त के बाद अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज व मजूंर कराने के लिए तहसीलदार किशनगढबास को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

तरीके से खारिज कर दिया। आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 0.22 है0 के 1/2 हिस्से मे से 2/5 हिस्सा, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.13 है0, 554 रकबा 0.57 है0, 563 रकबा 0.15 है0, 567 रकबा 0.23 है0, 680 रकबा 0.15 है0, 722 रकबा 0.14 है0, 728 रकबा 0.18 है0, 773 रकबा 0.22 है0, 873 रकबा 0.48 है0, 239 रकबा 0.22 है0 में से 2/5 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 587 रकबा 0.32 है0, 585 रकबा 0.35 है0 कुल रकबा 0.67 है0 मे से 2/5 हिस्सा अमीन पुत्र परमल जाति मेव निवासी चामरोदा तहसील किशनगढबास अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी थी। इस आराजी में से 1/5 हिस्सा उसके पिता परमल से प्राप्त हुआ तथा 1/5 हिस्सा अमीन द्वारा खरीदशुदा था जो अमीन ने निजर खां से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। इस प्रकार विवादित आराजी में 2/5 हिस्सा था। अमीन ने विवादित आराजी में स्वयं की खरीद किये हुए 1/2 हिस्से की वसीयत मिन अपीलान्ट के नाम दिनांक 16.07.2011 को कर दी गई। स्वंय का अगूंठा निशानी तथा गवाहन अयूब खां व हसन खा की गवाही कराई गई। वसीयत में अमीन ने स्वंय का व मिन अपीलान्ट का फोटो चस्पा किया व वसीयत को नाटेरी से तस्दीक कराया। अमीन उर्फ पिल्ली का देहान्त दिनांक 17.05.2015 को हो चुका अमीन के देहान्त के बाद अमीन द्वारा अपीलान्ट के हक में की गई वसीयत प्रभावी हो चुकी है। अपीलान्ट विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट अमीन की खातेदारी के 1/2 हिस्से पर पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अमीन की खातेदारी को विरासत में प्राप्त होना बताया गया है जो गलत है। अमीन को 1/2 हिस्सा ही विरासत मे प्राप्त हुआ है तथा 1/2 हिस्सा उसकी स्वअर्जित आराजी है जो उसने निजर खां से खरीद की है। जिसका इन्तकाल संख्या 447 निजर खां से अमीन ने खरीदी किये गये 1/2 हिस्से का दर्ज हुआ है। इस प्रकार अमीन ने स्वंय की खातेदारी के 2/5 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा खरीद किया है जिसकी वसीयत अपीलान्ट के हक में कराया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट दर्ज किया है कि अमीन का 1/5 हिस्सा विरासत मे प्राप्त हुआ है व 1/5 हिस्सा निजर खां से प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित खसरा नम्बर के रकबा दर्ज नही किया गया है। ना ही यह स्पष्ट किया है कि कितना हिस्सा अमीन की खातेदारी का था तथा अमीन की खातेदारी के रकबे मे से कितना विवादित रकबा है जिसके सम्बन्ध मे निर्णय दिया जा रहा है। अपीलान्ट ने वसीयत के गवाह हारून व अयूब के बयान कराये जिन्होने स्पष्ट रूप से एक बयान किया है कि वसीयत हमारे सामने अमीन ने लिखी जिस पर बतौर गवाह हमारे हस्ताक्षर है। अमीन के कोई पुत्र नही था तथा पुत्री का विवाह हो चुका था। वुद्वा अवस्था मे अपीलान्ट अमीन की सेवा करता था उसकी आराजी को काश्त करता था। अपीलान्ट की सेवा से प्रसन्न होकर अमीन ने अपनी आराजी के 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट क हक मे की गई। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.05.2016 निरस्त फरमाया जाये तथा अमीन की खातेदारी की आराजी मे से वसीयत के आधार पर 1/2 हिस्से का इन्तकाल अपीलानट के नाम दर्ज व मजूंर किया जाये। वकील अपीलान्ट ने अपील की ताईद में आर0आर0डी0 1986 पेज 12 व आर0आर0डी0 1987 पेज 183 पेश किये है।

वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जहा तक विवादित आराजी का प्रश्न है ग्राम चामरोदा में स्थित है तथा रैस्पॉडेन्ट के पति व पिता की खातेदारी आराजी है जो विरासत मे हम रैस्पॉडेन्ट को प्राप्त हुई है। जो आराजी अमीन पुत्र पिल्ली पुत्र परमल की खातेदारी की विरासत में छोडी गई आराजी है। मृतक अमीन ने कभी कोई वसीयत अपने जीवन काल मे निस्पादित नही कराई। उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

वसीयत का सिविल न्यायालय से वैधता के संबंध में कोई निर्णय भी नही कराया गया। जब मृतक ने कोई वसीयत निष्पादित ही नही की तो प्रभावी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मृतक अमीन की जायदाद पर हम रैस्पॉडेन्ट काबिज है। रैस्पॉडेन्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज व मिलान हो चुका था तसदीक होना बाकी था। अपीलान्ट ने बदयान्ति के कारण एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। अतः अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमांई जावे। रैस्पो0 द्वारा RRT 2010 (2) पेज 1322, RRT 2016 (1) पेज 726, RBJ (21) 2014 पेज 20 पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 18.07..2016 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब दो माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, अमीन द्वारा अयूब को की गई वसीयत को किसी भी न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है वह आज दिनांक को भी अस्तित्व में है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का 1/5 हिस्सा अमीन खां द्वारा निजर खां से जरिये बयनामा खरीद की गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 447 दर्ज व स्वीकार हुआ। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.05.2016 में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अमीन द्वारा 1/5 हिस्सा जरिये बयनामा निजर खां से खरीद किया है। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि जो वसीयत अमीन द्वारा अयूब को विवादित आराजी के 1/5 हिस्से की करवाई गयी, वह उसकी विरासत की ही आराजी थी। जो जरिये बयनामा अमीन द्वारा निजर खां से खरीद की गयी आराजी भी हो सकती है। जिस स्वअर्जित आराजी को उसे बेचने व वसीयत करने का अधिकार है। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा उक्त सभी बिन्दुओं पर जॉच कर निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन तहसीलदार किशनगढबास द्वारा उक्त संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः तहसीलदार किशनगढबास का आदेश दिनांक 20.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अयुब के पिता स्व0 अमीन के खातेदारी की कुल कृषि भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जांच करे उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर वसीयत तथा बयनामे के आधार पर रिकार्ड की जांच कर पुनः इंतकाल का निर्णय नियमों की रोशनी में किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 30–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)